न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– मृदुल दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6271)

सत्र परीक्षण संख्या 261/2021

मु0अ0सं0 78/2021

सरकार बनाम राजन आदि

अन्तर्गत धारा : 323/34,307/34 भा0दं0सं0

3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हाफिजपुर

जिला : हापुड़

UPHP010028482021

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई । पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण राजन उर्फ कुलदीप, अनिल उर्फ डागा जेल से हाजिर आये । अभियुक्त रजनीश उर्फ नीटू जेरे जमानत हाजिर आया । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर कोई बहस नही की गई । विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया । विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध 323/34,307/34 भा0दं0सं0,3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 27.09.2021 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(मृदुल दुबे)

दि0 16.09.2021 अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,

हापुड।

Digitally signed by Mridul Dubey
Date: 2021.09.17 13:25:02 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– मृदुल दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6271)

सत्र परीक्षण संख्या 261/2021

मु0अ0सं0 78/2021

सरकार बनाम राजन आदि

अन्तर्गत धारा : 323/34,307/34 भा0दं0सं0

3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हाफिजपुर

जिला : हापुड़

UPHP010028482021

आरोप

मैं, मृदुल दुबे ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण राजन उर्फ कुलदीप, अनिल उर्फ डागा व रजनीश उर्फ नीटू पर यह आरोप लगाता हूँ कि :–

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 18.04.2021 को समय करीब 18.30 बजे ग्राम मीरपुर कलां बहद थाना हाफिजपुर जिला हापुड में आप सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय से कलवा पुत्र ननवा को मारपीट कर उपहति कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34 के अर्न्तगत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने एक राय होकर सामान्य आशय से कलवा के तहेरे भाई देवेन्द्र को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में गोली मार कर ऐसा कार्य किया कि यदि आपके द्वारा मृत्यु कारित कर दी जाती तो आप हत्या के दोषी होते । इसप्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

<u>तृतीयत ::–</u> यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने कलवा व देवेन्द्र को यह जानते हुए कि वे अनुसूचित जाति की सदस्य है, कलवा को मारपीट कर उपहति कारित की व देवेन्द्र को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में गोली मार दी । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)**(v)** एस0सी0एस0टी0एक्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(मृदुल दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 16.09.2021

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(मृदुल दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 16.09.2021